



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374]
No. 374]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 2005/भाद्र 16, 1927
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2005/BHADRA 16, 1927

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2005

सा.का.नि. 567(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो महानिदेशक की नियुक्ति और सेवा शर्तों के निबंधन और शर्तें नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो महानिदेशक की नियुक्ति और सेवा के निबंधन और शर्तें (संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो महानिदेशक की नियुक्ति सेवा के निबंधन और शर्तें नियम, 2003 के नियम 3 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी :—

(i) आवश्यक अर्हताएं और अनुभव :—

- (क) अभ्यर्थी, इंजीनियरी में स्नातक या भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या भू-विज्ञान या भू-भौतिकी या ऊर्जा अध्ययन या ऊर्जा प्रबंधन या ऊर्जा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर अथवा; और
- (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में समूह 'क' की सेवा में 25 वर्ष का अनुभव रखता हो जिसमें सेवा के मूल कांडर में 18400—22400 रुपए के वेतनमान में कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव हो;

या

किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी स्वशासी निकाय या किसी कानूनी निकाय या किसी प्राइवेट फर्म में अर्हता के पश्चात् कम-से-कम 25 वर्ष का अनुभव जिसमें से किसी ख्याति प्राप्त संगठन में ज्येष्ठ स्तर पर पांच वर्ष का अनुभव भी हो; और

(ग) अभ्यर्थी को ऊर्जा उत्पादन, प्रदाय, ऊर्जा प्रबंधन, मानकीकरण और ऊर्जा के प्रभावी उपयोग और इसके संरक्षण से संबंधित मामले को निपटाने की पर्याप्त जानकारी और अनुभव रखता हो।

(ii) वांछनीय अर्हताएं और अनुभव :

अभ्यर्थी इंजीनियरी में स्नातक या भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या भू-विज्ञान या भू-भौतिकी या ऊर्जा अध्ययन या ऊर्जा प्रबंधन या ऊर्जा अर्थशास्त्र में डाक्टरेट डिग्री रखता हो और नीति विनिर्माता या ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में योजना का अधिमानी रूप से अनुभव रखता हो”।

[फा. सं. 13/3/2001-ईएम]

डी. सी. श्रीवास्तव, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 24 सितम्बर, 2003 के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 761(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2005

G.S.R. 567(E).—In exercise of the powers conferred by Section 56 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2), the Central Government hereby makes the following amendments in the Bureau of Energy Efficiency Appointment and Terms and Conditions of Service of Director General Rules, 2003, namely:—

1. (1) These rules may be called the Bureau of Energy Efficiency Appointment and Terms and Conditions of Service of Director General (Amendment) Rules, 2005.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Energy Efficiency Appointment and Terms and Conditions of Service of Director General Rules, 2003, in rule 3, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:—

“The Central Government shall appoint a person possessing the following qualifications and experience:—

(i) Essential Qualifications and Experience:—

- (a) a candidate must be a Graduate in Engineering or Post-Graduate in Physics or Chemistry or Geology or Geophysics or Energy Studies or Energy Management or Energy Economics; and
- (b) shall have the experience of 25 years of service in the Central Government or the State Government in Group 'A' with at least 3 years experience in the pay scale of Rs. 18,400-22,400 in the parent cadre of service.

or

at least 25 years of post qualification experience in any public sector undertaking or an autonomous body or any statutory body or any private firm, out of which 5 years should be at a senior level in a organization of a repute, and

- (c) the candidate must have adequate knowledge and experience in dealing with the matters relating to energy production, supply and energy management, standardization and efficient use of energy and its conservation.

(ii) Desirable qualification and experience:

A candidate possessing a Post-Graduate Engineering or Doctorate degree in Physics or Chemistry or Geology or Geophysics or Energy Studies or Energy Management or Energy Economics and having experience in policy formulation or planning in the field of energy management shall be preferred.”

[F.No. 13/3/2001-EM]

D. C. SRIVASTAVA, Director

Note: The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, dated the 24th September, 2003, Part II, Section 3(i), vide No. G.S.R. 761(E).